न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, अकलेरा, जिला-झालावाड़।

पीठासीन अधिकारीः- मुकेश कुमार सोनी
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध प्रकरण संख्या- 29/2025
CIS No. 29/2025

संगीता पत्नी शिवसिंह पुत्री फूलसिंह, निवासी बावडीखेड़ा, पुलिस थाना भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.)

...याची

बनाम

शिवसिंह पुत्र प्रभूलाल, निवासी रोज्या, पुलिस थाना भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.)

...प्रत्यर्थी

विवाह विच्छेद प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

उपस्थितः-

1. श्री जुझारसिंह गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता, याची की ओर से।
2. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। **(एकपक्षीय कार्यवाही)**

:: निर्णय :: **दिनांकः 20.05.2026**

1. याची द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने हेतु यह याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि याची का विवाह दिनांक 31.03.2017 को ग्राम बावडीखेड़ा में सम्पन्न हुआ। विवाह के दो वर्ष बाद ही याची का गौना देकर उसके माता पिता ने हैसियत अनुसार स्त्रीधन देकर प्रत्यर्थी के साथ विदा कर दी। तब से याची अपने पत्नीधर्म का पालन करती चली आ रही थी। विवाह के बाद शुरू से ही प्रत्यर्थी व उसके परिवारजन का व्यवहार याची के प्रति आक्रामक एवं क्रूर रहा। आये दिन याची को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दहेज की मांग करते व याची के पिता से दहेज में दो लाख रूपये नकद, एक मोहर का गौखरू एवं आधा किलो चांदी के कड़े लेकर आने व नहीं लाने पर दूसरी औरत लाने की कहते। प्रत्यर्थी आये दिन शराब पीकर याची के साथ मारपीट करता। याची अपना घर नहीं बिगड़े यही सोचकर सब सहन करती रही। करीब दो-तीन वर्ष पहले याची के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर उसे घर से भगा दिया

तब से वह अपने पीहर में रह रही है। प्रत्यर्थी याची के माता-पिता से 11,00,000/- की वसूली के आशय से उसके पीहर आये व उसके माता पिता को जबरन डराया धमकाया तब याची ने प्रत्यर्थी व उसके परिवारजन के खिलाफ धारा 498ए, 406, 385 भादसं का मुकदमा थाना भालता में दर्ज करवाया। याची व उसके परिवारजनों ने प्रत्यर्थी को समझाने का काफी प्रयास किया परन्तु नहीं माना व याची को ले जाने से साफ मना कर दिया। याची व प्रत्यर्थी करीबन 2-3 वर्ष से अलग-अलग रह रहे हैं। इस दौरान उनका कोई मिलन एवं सहवास नहीं हुआ है न ही पति-पत्नी के संबंध स्थापित हुए हैं जिससे याची का जीवन शुष्क एवं नीरस हो गया है। उनके कोई संतान नहीं है। उनके मध्य कोई दुरभिसंधि नहीं है। याची व प्रत्यर्थी के विवाह का पंजीयन नहीं हुआ है। अतः याची एवं प्रत्यर्थी के मध्य **दिनांक 31.03.2017** को सम्पन्न हुए विवाह को विच्छेद कर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की जाए।

2. प्रत्यर्थी शिवसिंह बावजूद तामील नोटिस न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 29.11.2025 को उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. याची की ओर से एकपक्षीय साक्ष्य में प्रार्थी साक्षी क्रमांक 1 संगीता व साक्षी क्रमांक 2 फूलसिंह के बयान कराए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में विवाह का कार्ड प्रदर्श-1, चार्जशीट प्रदर्श 2, एफआईआर प्रदर्श 3 व विवाह के फोटोग्राफ प्रदर्श 4 व 5 प्रदर्शित कराए गए।

4. बहस एकपक्षीय सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता याची का निवेदन है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपनी पत्नी याची का जानबूझकर परित्याग कर रखा है। विवाह के पश्चात प्रत्यर्थी ने याची से दहेज की मांग कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया व घर से निकाल दिया। याची विगत 2-3 वर्षों से अपने पिता के यहां निवास कर रही है। प्रत्यर्थी ने याची का जीवन शुष्क कर रखा है। उनका निवेदन है कि याची ने अपने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को साक्ष्य से साबित किया है जिसका कोई खण्डन नहीं हुआ है। अतः क्रूरता व अभित्यजन के आधार पर याचिका स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया। इस याचिका के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है कि आया याची का विवाह दिनांक 31.03.2017 को प्रत्यर्थी के साथ अनुष्ठापित हुआ है तथा

प्रत्यर्थी द्वारा याची के साथ क्रूरता की गई है और उसे याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक से अव्यवहित दो वर्ष पूर्व से अभित्यक्त कर दिया है, जिसके आधार पर याची विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है?

6. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य में याची ने साक्षी क्रमांक 1 स्वयं याची संगीता ने अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत कर याचिका के अभिकथनों को दोहराया है जिसमें दिनांक 31.03.2017 को विवाह होने का कथन किया है और विवाह के दो वर्ष बाद गोना देने के पश्चात प्रत्यर्थी के साथ पत्नी के रूप में निवास करना बताया है। साक्षी के अनुसार प्रत्यर्थी ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया और अपने पिता से दो लाख रूपये नकद, एक मोहर का गोखरू व आधा किलो चांदी के कड़े लेकर आने की मांग की। दहेज न लाने पर दूसरा विवाह करने की धमकी दी। शराब पीकर अपने साथ मारपीट करना बताया है। साक्षी के अनुसार प्रत्यर्थी ने उसे करीब दो तीन वर्ष पहले मारपीट कर घर से भगा दिया और वह तब से अपने पीहर में निवास कर रही है। इस दो तीन वर्ष की अवधि में प्रत्यर्थी के साथ उसका सहवास नहीं हुआ है। प्रार्थी साक्षी क्रमांक 2 फूलसिंह याची का पिता है जिसने भी अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में उक्त अभिकथनों की पुष्टि की है। उक्त मौखिक साक्ष्य का खण्डन नहीं हुआ है।

7. याची की ओर से अपने विवाह का कार्ड प्रदर्श-1 पेश किया गया है जिसमें विवाह की दिनांक 31.03.2017 वर्णित है। स्वयं व प्रत्यर्थी के साथ विवाह संबंधी फोटोग्राफ भी प्रदर्शित करवाए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य से याची और प्रत्यर्थी का विवाह दिनांक 31.03.2017 को हाना साबित है।

8. प्रकरण में याची ने उसके साथ प्रत्यर्थी द्वारा की गई क्रूरता एवं अभित्यजन के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री चाही है। याची द्वारा प्रस्तुत याचिका के अभिकथनों और मौखिक साक्ष्य से प्रत्यर्थी द्वारा याची से दहेज में दो लाख रूपये नकद, एक मोहर का गोखरू व आधा किलो चांदी के कड़े लेकर आने की मांग किया जाना प्रकट हुआ है। याची ने प्रत्यर्थी के विरूद्ध धारा 498 ए, 406, 384 भादसं की एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना भालता में दिनांक 13.06.2023 को दर्ज करवाई है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 3 व आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2 साक्ष्य में पेश की गई है। प्रकरण में प्रत्यर्थी शिवसिंह ने नोटिस की तामील के उपरांत न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर याचिका का कोई जवाब पेश नहीं किया

और खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। याची की ओर से याचिका के समर्थन में स्वयं को व अपने पिता को परीक्षित करवाया है, याची द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित पाया जाता है कि दिनांक 31.03.2017 को विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात प्रत्यर्थी ने अपनी पत्नी याची के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। यह भी अखण्डित रूप से साबित है कि याची को प्रत्यर्थी ने याचिका प्रस्तुत करने से दो तीन वर्ष पूर्व घर से निकाल दिये जाने के पश्चात वह अपने पीहर में निवास कर रही है। इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा याची को याचिका संस्थित करने के अव्यवहित दो वर्ष पूर्व से अभित्यक्त रखा जाना भी साबित है। इसलिए याची उक्त आधारों पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है तथा यह याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

9. अतः याची **संगीता** पत्नी शिवसिंह पुत्री फूलसिंह, निवासी बावडीखेड़ा, पुलिस थाना भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.) की ओर से प्रस्तुत यह याचिका अन्तर्गत धारा 13(1)(iक) (iख) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रत्यर्थी **शिवसिंह** पुत्र प्रभूलाल, निवासी रोज्या, पुलिस थाना भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.) **एकपक्षीय स्वीकार** की जाती है और याची व प्रत्यर्थी के मध्य **दिनांक 31.03.2017** को अनुष्ठापित हिन्दू विवाह को विघटित घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर जिला न्यायाधीश, अकलेरा
जिला झालावाड़ (राज.)

10. निर्णय आज दिनांक **20.05.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर जिला न्यायाधीश, अकलेरा
जिला झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(अब्दुल वाजिद चिश्ती)
स्टेनो ग्रेड प्रथम

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.21 11:16:42 IST